

**परियोजना विवरण :-** जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मार्ग से खनस्थू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी)। माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा प्र० 323/2018)

- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव विवरण।

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मार्ग से खनस्थू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5,200 किमी)

- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

- संलग्न है।

269.36 लाख

मोटर मार्ग हेतु ।

-लागू नहीं।

- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।  
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)  
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

—लागू नहा।  
प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम खन्स्यू टांडा मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा तथा जनता को यातायात एवं कृषि कारोबार में सुविधा प्राप्त होगी।

- ## 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः

अ. आरक्षित वन भूमि नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	0.4500 है0
ब. वन पंचायत	2.2500 है0
स. सिविल भूमि	0.0000 है0
कुल वन भूमि	2.7000 है0
द. नाप भूमि	1.9800 है0

- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

लागू नहीं है।

लागू नहीं है।

लागू नहीं है।

लागू नहीं है।

- क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्वासी योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी  
है? (±)

1

4. क्या प्रयोगरण (रासायनिक) आवश्यक है? (हाँ )

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

- संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का  
व्यौरा।

— संलग्न है ।

400

नाम मोहर

दिनांक..... २० | ०२ | २१

स्थान..... Bhowali

प्रयोक्ता एजेन्टी के हस्ताक्षर  
अधिकारी सी अभ्यंता  
अस्थाई स्टड, लो० १०८० बि०  
भवाली (तीनीदाल)

### प्रारूप-3

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मोटर मार्ग से खनस्थू तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 5.200 किमी)।  
भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)  
16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र — उत्तराखण्ड

(ii) जिला — नैनीताल

(iii) जिला वन प्रभाग — नैनीताल वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र—2.70 है।

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

(i) वन का प्रकार — आरक्षित/वन पंचायत भूमि

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित गुहाओं की परिणामना—संलग्न है

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : — वन सीमा के अन्तर्गत

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा : खनस्थू गाँव मार्ग से जुड़ जायेगा

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान दन्यजीव का व्यौरा : लागू नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) — लागू नहीं है

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) — नहीं है

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्यवन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) — नहीं है

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की

प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे — नहीं है।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम शाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें)

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की

अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही— लागू नहीं है

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

(ii) अवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम

शासकीय मुद्रा